रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2003/कार्तिक 14, 1925
No. 175] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2003/KARTIKA 14, 1925

विजया बैंक

अधिसूचना

बेंगलूर, 23 अक्तूबर, 2003

विजया बैंक : सामान्य विनियम (संशोधन), 2003

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विजया बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, विजया बैंक सामान्य विनियम 1998 को आगे और संशोधित करने के लिए नीचे उल्लिखित विनियम बनाता है, अर्थात्;

अध्याय - I

प्रस्तावना

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) इन विनियमों को " विजया बैंक सामान्य विनियम, 2003 " कहा जाए.

(ii) ये विनियम, सरकारी गज़ट में उनकी प्रकाशन-तारीख से लागू होंगे.

2. "विजया बैंक सामान्य विनियम 1998" को "विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियम 2003" माना जाएगा.

परिभाषा - इन विनियमों में, जब तक कि उसके विषय अथवा संदर्भ अथवा अभिप्राय के विरुद्ध कोई बात न हो -

(ए) " **अधिनियम** " से अभिप्राय है, **बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40);**

(बी) " **बैंक** " से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित विजया बैंक;

(सी) " **मंडल** " से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित निदेशक मंडल;

(डी) " **अध्यक्ष** " से अभिप्राय है, मंडल का अध्यक्ष;

(ई) " **समिति** " से अभिप्राय है, विनियम 2ए के अधीन गठित एक समिति;

(एफ) " **कार्यपालक निदेशक** " से अभिप्राय है, प्रबंध निदेशक न होते हुए पूर्णकालिक निदेशक;

(जी) " **महा प्रबंधक** " से अभिप्राय है, बैंक का महा प्रबंधक;

(एच) " **प्रबंधक समिति** " से अभिप्राय है, योजना के खंड 13 के अंतर्गत गठित एक समिति;

(ऐ) " **प्रबंध निदेशक** " से अभिप्राय है, बैंक का प्रबंध निदेशक;

(जे) " **रजिस्टर** " से अभिप्राय है, बैंक की एक अथवा उससे अधिक बहियों में रखा गया, शेयरधारकों का रजिस्टर और इसमें शामिल है, अधिनियम की धारा 3 की-उप-धारा (2जी) के अंतर्गत कंप्यूटर के फ्लॉपी-डिस्केटों में रखे गए शेयरधारकों का रजिस्टर तथा हिताधिकारी स्वामी की पंजी जो निक्षेपागार अधिनियम 1996 (1996 का 22) की धारा 11 के अधीन अनुरक्षित व निक्षेपागार है.

(के) " **रजिस्ट्रार** " से अभिप्राय है, नीचे उल्लिखित प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा नियुक्त व्यक्ति -

(I) किसी पूँजी निगम के संबंध में निवेशकर्ताओं से आवेदन-पत्र के संग्रहण के लिए,

(ii) निवेशकर्ताओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों और धनराशि अथवा प्रतिभूतियों के विक्रेताओं को प्रदत्त धनराशि का ठीक अभिलेख रखने के लिए,

(iii) नीचे उल्लिखित काम निपटाने में बैंक को सहयोग देने के लिए जैसे;

(क) शेयर बाज़ार के साथ परामर्श कर प्रतिभूतियों के आबंटन के आधार का निर्धारण करना,

(ख) प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना,

(ग) पूँजी निर्गम के संबंध में आबंटन पत्रों, धन वापसी आदेश अथवा प्रमाणपत्रों और अन्य सबद्ध दस्तावेजों का संसाधन और प्रेषण करना और

(iv) ऐसा कोई दूसरा कार्य करने के लिए, जो बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा जाए,

(एल) " योजना " से अभिप्राय है, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980;

(एम) " शेयर " से अभिप्राय है, बैंक की शेयर पूंजी में अंश;

(एन) " शेयर अंतरण एजेंट " में शामिल हैं -

(i) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो बैंक की ओर से, बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के धारकों के अभिलेखों का अनुरक्षण करता है और उसकी प्रतिभूतियों के अंतरण और शोधन से संबद्ध सारे मामलों की बाबत व्यवहार करता है, अथवा

(ii) बैंक का एक ऐसा विभाग अथवा प्रभाग (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) जो उप-खंड (i) में उल्लिखित कार्यकलाप निष्पादित करता है,

(ओ) अध्याय III में प्रयुक्त और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 22) में परिभाषित परंतु इन विनियमों में परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम में उनके लिए क्रमश: निश्चित किए गए हैं.

" 2ए(i) विनियम 67 के खण्ड (ii) में उपलब्ध को छोड़कर, यथा अपेक्षित मण्डल इन विनियमों के लिए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक व अन्य दो निदेशक, जैसा उचित समझें सहित समिति गठित कर सकती है :

(ii) इस विनियम के अधीन गठित समिति मंडल द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी."

अध्याय - II

शेयर और शेयर रजिस्टर

3. शेयरों का स्वरूप

विजया बैंक के शेयर, चल संपत्ति होंगे जिनका इन विनियमों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुरूप अंतरण किया जा सकेगा.

4. शेयर पूंजी के प्रकार

(i) अधिमान शेयर पूँजी से अभिप्राय, विजया बैंक की शेयर पूँजी के उस भाग से है जो नीचे उल्लिखित दोनों शर्तें पूरी करता है :-

(क) जहां तक लाभांशों का संबंध है, उसका यह अधिमान्य अधिकार है कि एक निश्चित दर से परिकलित रकम अदा की जाए, जो या तो आय-कर से मुक्त हो या आय-कर के अधीन हो और

(ख) जहां तक पूँजी का संबंध है, परिसमापन के उपरांत पूँजी की चुकौती करते समय, उसका यह अधिमान्य अधिकार है अथवा होगा कि प्रदत्त अथवा प्रदत्त समझी जानेवाली पूँजी की रकम चुकाई जाए, चाहे नीचे उल्लिखित रकम में से किसी एक अथवा दोनों का भुगतान करने का अधिमान्य अधिकार हो या न हो, अर्थात्;

(अ) परिसमापन अथवा पूँजी की चुकौती-तारीख तक खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के संबंध में अदत्त रही कोई धनराशि और

(आ) केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के साथ मंडल द्वारा निर्दिष्ट कोई निश्चित प्रीमियम अथवा किसी निश्चित पैमाने पर प्रीमियम.

(ii) " **इक्विटी शेयर पूँजी** " से अभिप्राय है, ऐसी समस्त शेयर पूँजी, जो अधिमान शेयर पूँजी न हो.

(iii) " **अधिमान शेयर और इक्विटी शेयर** " अभिव्यक्तियों को तदनुसार माना जाएगा.

5. रजिस्टर में दर्ज किए जानेवाले विवरण

(i) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (एफ) के अनुसार एक शेयर रजिस्टर रखा जाएगा, उसका अनुरक्षण किया जाएगा और उसे अद्यतन बनाया जाएगा.

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (एफ) में निर्दिष्ट विवरण के अतिरिक्त, ऐसे अन्य विवरण, जो मंडल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे.

(iii) किसी शेयर के संयुक्त धारकों के मामले में, उप-विनियम (i) की अपेक्षानुसार उनके नाम और अन्य विवरण का वर्गीकरण, संयुक्त धारकों में से प्रथम संयुक्त धारक के नाम के अधीन किया जाएगा.

(iv) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (डी) के परंतुक के अधीन, भारत के बाहर निवास करनेवाले शेयरधारक द्वारा बैंक को भारत में उसके पते के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाए और अगर ऐसा कोई पता हो तो उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए उसे उसका पंजीकृत पता माना जाएगा.

5ए(i) बैंक जब तक कि रजिस्टर में सूचक बनाने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तब तक सूचक रख सकते हैं जो कि शेयरधारकों के नाम वाले कार्ड सूचक के रूप में हो सकता है और शेयरधारकों

के रजिस्टर में परिवर्तन किए गए दिनांक से 14 दिनों के अंदर सूचक में भी अपेक्षित परिवर्तन करें.

(ii) सूचक शेयरधारकों के रजिस्टर के साथ रखा जाए.

6. शेयरों और रजिस्टरों पर नियंत्रण

अधिनियम के प्रावधानों और इन विनियमों और उन निदेशों के अधीन जो मंडल द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, रजिस्टर, विजया बैंक के प्रधान कार्यालय में रखा जाएगा और अनुरक्षित किया जाएगा और मंडल के नियंत्रण के अधीन होगा तथा किसी शेयर के संबंध में मंडल का यह निर्णय अंतिम होगा कि शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए कोई व्यक्ति हकदार है या नहीं.

7. ऐसे पक्षकार जिनका पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा

(i) इन विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोडकर, वे सभी व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने के हकदार नहीं होंगे और इस संबंध में मंडल का निर्णय, निश्चायक और अंतिम होगा.

(ii) साझेदारी फर्मों के मामले में, शेयरों का पंजीकरण अलग-अलग साझेदारों के नाम किया जाए और इसलिए कोई भी फर्म, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा

8. कंप्यूटर प्रणाली आदि में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण

(i) विनियम 5 में उल्लिखित धारा के साथ पठित अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (एफ) के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (जी) के अंतर्गत, प्रधान कार्यालय में रखे जानेवाले कंप्यूटरों में डिस्केट्टों, फ्लॉपियों, कार्ट्रिजों में अथवा अन्यथा (जिसे इसके आगे " मीडिया " कहा गया है) मैग्नेटिक/ऑप्टिकल/मैग्नेटो-ऑप्टिकल मीडिया में संगृहीत आंकडों के रूप में रखे जाएंगे और ऐसे स्थान में उसका बैक-अप रखा जाएगा, जिसके बारे में निर्णय समय-समय पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक अथवा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा (जिसे इसके आगे "नामोद्दिष्ट अधिकारी " कहा गया है) इस निमित्त नामोद्दिष्ट कम से कम महा प्रबंधक की श्रेणी के किसी दूसरे अधिकारी द्वारा लिया जाए.

(ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 11 के साथ पठित अधिनियम की धारा 3(बी) में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण, उसमें निर्धारित ढंग और रीति से, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएंगे.

(iii) इलेक्ट्रानिक रूप में रजिस्टर इस शर्त में अनुरक्षित रखा जाए कि वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए यथा निर्दिष्ट सुरक्षा उपाय के अनुसार है.

9. कंप्यूटर प्रणाली की सुरक्षा के लिए एहतियात

(i) विनियम 8(i) में निर्दिष्ट ऐसी प्रणाली में, जिसमें आंकड़ें संगृहीत किए जाते हैं, उपलब्ध सूचना, किसी पूँजी निर्गम के रजिस्ट्रार और/अथवा शेयर अंतरण एजेंट सहित उन सभी व्यक्तियों तक सीमित की जाएगी, जो इस निमित्त अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जाएं और अगर कोई पास वर्ड हो तो उसे और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली को उक्त व्यक्तियों की अभिरक्षा में गुप्त रखा जाएगा.

(ii) प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा एक्सेस किए जाने के बारे में कंप्यूटर प्रणाली द्वारा लॉग में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे लॉग, इस निमित्त अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा नामोद्दिष्ट अधिकारियों/व्यक्तियों के पास परिरक्षित किए जाएंगे.

(iii) बैक-अप की प्रतिलिपियां, शेयरधारकों के रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट अंतराल में रिमूवेबल मीडिया में ली जाएगी. इनमें से कम से कम एक प्रतिलिपि, उस परिसर को छोडकर जिसमें संसाधान किया जाता है, किसी दूसरे स्थान में रखी जाएगी. यह प्रतिलिपि, ताला लगाने की व्यवस्था के साथ फायर प्रूफ वातावरण और अपेक्षित तापमान में रखी जाएगी. दोनों स्थानों में बैक-अप के लिए एक्सेस, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों तक सीमित किया जाएगा. इस तरह से प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा एक्सेस के बारे में निर्दिष्ट स्थान में रखे गए रजिस्टर में अभिलेखन किया जाएगा.

(iv) प्राधिकृत व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे, उचित सॉफ्टवेर का प्रयोग करते हुए बैक-अप में उपलब्ध आंकड़ों का कंप्यूटर प्रणाली में उपलब्ध आंकडों के साथ तुलना करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक-अप सही है. इस परिचालन का परिणाम, इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा.

(v) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के लिए यह यथेष्ट होगा कि वह, प्रौद्यागिकी में उन्नति पर उचित ध्यान देते हुए और/अथवा परिस्थिति की अनिवार्यता को देखते हुए अथवा किसी दूसरे संबंधित लिहाज से, किसी विशिष्ट अथवा सामान्य आदेश द्वारा, कंप्यूटर प्रणाली में शेयरधारकों के रजिस्टर का अनुरक्षण करने के लिए बरते जानेवाले एहतियातों से संबंधित अनुदेशों में, अनुबंधों में जोड अथवा आशोधन करें.

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

अगर कोई शेयर, दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम हो तो, शेयरों के अंतरण को छोडकर, मताधिकार, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस जारी करने और "विजया बैंक " के साथ जुडे हुए सभी अथवा किसी दूसरे मामलों के संबंध में, रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति के बारे में यह मान लिया जाएगा कि वह उसका एकमात्र धारक है.

11. रजिस्टर का निरीक्षण

(i) विनियम 12 के अंतर्गत बंद करने के सिवाय, किसी भी शेयरधारक के निरीक्षण के लिए, रजिस्टर, नि:शुल्क, ऐसे स्थान में खुला रखा जाएगा जहां उसे कारोबार समय के दौरान रखा जाता है, जब कि यह ऐसे उचित प्रतिबंध के अधीन होगा जो कि मंडल द्वारा लगाए जाएं ताकि निरीक्षण के लिए प्रत्येक कार्य दिवस कम से कम दो घंटे दिए जा सकें.

(ii) कोई भी शेयरधारक, रजिस्टर में उपलब्ध किसी भी प्रविष्टि अथवा कंप्यूटर प्रिंट का नि:शुल्क उद्धरण ले सकता है अथवा अगर उसे रजिस्टर अथवा उसके किसी भाग की प्रतिलिपि की जरूरत हो तो, कॉपी किए जानेवाले हर 100 शब्दों अथवा उसके आंशिक भाग के लिए रु. 5/- की दर से या मंडल द्वारा निर्दिष्ट दर पर पूर्व भुगतान करने पर उसकी आपूर्ति की जाएगी.

(iii) उप-विनियम (ii) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह, रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि की प्रतिलिपि निकाले अथवा रजिस्टर अथवा उसके किसी भाग की प्रतिलिपि प्रस्तुत करवाए.

12. रजिस्टर बंद करना

भारत में प्रचलित कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए कम से कम सात दिन की पूर्व नाटिस देने के बाद, तथा लागू दिशा निर्देशों व शेयर बाज़ार के साथ सूचीबद्ध करार को सुनिश्चित करते हुए बैंक, किसी भी अवधि के लिए अथवा प्रत्येक वर्ष में अधिकतम कुल पैंतालीस दिन तक, परंतु किसी एक समय अधिकतम तीस दिन तक, जो उसकी राय में आवश्यक होगा, शेयरधारकों का रजिस्टर बंद कर सकता है.

13. शेयर प्रमाणपत्र

(i) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र पर, शेयर प्रमाणपत्र संख्या, एक विशेष संख्या, उन शेयरों की संख्या जिनके संबंध में उसे जारी किया गया हो और उस शेयरधारक का नाम जिसकेनाम उसे जारी किया गया हो, अंकित किए जाएंगे और वह उस प्रारूप में होगा जिसे मंडल द्वारा यथा निर्दिष्ट किया जाए.

(ii) मंडल के संकल्प का अनुसरण करते हुए, हर एक शेयर प्रमाणपत्र, बैंक की निगम मुद्रा के साथ जारी किया जाएगा और उस पर दो निदेशकों और किसी दूसरे अधिकारी जो वेतनमान II श्रेणी के या कंपनी सचिव है, के हस्ताक्षर होंगे.

परंतु यह कि निदेशकों के हस्ताक्षरों का मुद्रण, उत्कीर्णन, अश्ममुद्रण अथवा किसी दूसरी ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अंकन किया जाए जो मंडल निर्दिष्ट करे.

(iii) इस तरह से मुद्रित, उत्कीर्णित, अश्ममुद्रित अथवा अन्यथा अंकित हस्ताक्षर उतना ही विधिमान्य होगा जितना हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं हस्तलिखित हस्ताक्षर.

(iv) कोई भी शेयर प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक इस तरह से उस पर हस्ताक्षर न किए गए हों. इस तरह से हस्ताक्षरित शेयर प्रमाणपत्र विधिमान्य होगा और बाध्यकारी होगा भले ही, उसे जारी करने से पहले, उस पर जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर हो, वह बैंक की तरफ से शेयर प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए अब प्राधिकृत व्यक्ति न रहा हो.

14. शेयर प्रमाणपत्र जारी करना

(i) किसी शेयरधारक के नाम शेयर प्रमाणपत्र जारी करते समय, मंडल के लिए यह यथेष्ट होगा कि वह, किसी एक अवसर पर उसके नाम पंजीकृत हर एक सौ शेयरों के लिए या उसके गुणजों में एक प्रमाणपत्र के आधार पर, प्रमाणपत्र जारी करे और उसके अतिरिक्त शेयरों के लिए जो एक सौ से कम हों, एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र जारी करे.

(ii) अगर पंजीकृत किए जानेवाले शेयरों की संख्या, एक सौ से कम हो तो, सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

(iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी शेयर अथवा शेयरों के संबंध में, बैंक, एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा और किसी शेयर के लिए, अनेक संयुक्त धारकों में से किसी एक धारक को प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी, उन सभी धारकों को पर्याप्त सुपुर्दगी के बराबर होगी.

15. नए या डूप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करना

(i) अगर कोई शेयर प्रमाणपत्र, कटा-फटा हो अथवा विकृत हो गया हो तो, मंडल अथवा उसके द्वारा नामोद्दिष्ट समिति, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, उसे रद्द करने और उसके बदले नया प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दे सकती है.

(ii) अगर किसी शेयर प्रमाणपत्र के बारे में यह अभिकथन किया गया हो कि वह खो गया है अथवा नष्ट हो गया है तो, मंडल अथवा उसके द्वारा नामोद्दिष्ट समिति, जामिन के साथ या बगैर, ऐसी क्षतिपूर्ति पर, जो मंडल अथवा समिति ठीक समझे और दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने और विजया बैंक को उसकी लागत,प्रभार और

खर्च का भुगतान करने के बाद, ऐसे खोए हुए अथवा नष्ट हुए प्रमाणपत्र के हकदार व्यक्ति को उसके बदले डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी किया जाए.

16. शेयरों का समेकन और उप-विभाजन

शेयरधारक(कों) द्वारा किए गए लिखित आवेदन पर, मंडल अथवा उसके द्वारा नामोद्दिष्ट समिति, उसके पास समेकन/उप-विभाजन के लिए प्रस्तुत ,जो भी हो, शेयरों का समेकन अथवा उप-विभाजन कर सकती है और बैंक को उसकी लागत, प्रभार और खर्च और भावले के और उससे संबंधित प्रासंगिक खर्च का भुगतान करने पर उसके बदले नया/नए प्रमाणपत्र जारी सकती है.

17. शेयरों का अंतरण

(i) बैंक के शेयरों का हर एक अंतरण, इसके साथ संलग्न फार्म "ए " में अथवा किसी ऐसे दूसरे फार्म में, जिसके लिए समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदन दिया जाए, अंतरण प्रपत्र द्वारा किया जाएगा और संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरणकर्ता और अंतरिती, द्वारा अथवा की ओर से विधिवत् रूप से उस पर स्टांप लगाया, दिनांकित और निष्पादित किया जाएगा.

(ii) शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरण-प्रपत्र, बैंक को उसके प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक उसके संबंध में शेयर रजिस्टर में अंतरिती का नाम न दर्ज किया जाए, अंतरणकर्ता के बारे में यह मान लिया जाएगा कि वह, ऐसे शेयरों का धारक है.

(iii) बैंक द्वारा, अंतरण का पंजीकरण करने के अनुरोध और शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरण-प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरांत, मंडल अथवा मंडल द्वारा नामोद्दिष्ट समिति द्वारा, शेयर प्रमाणपत्र के साथ उक्त अंतरण-प्रपत्र, रजिस्ट्रार और/अथवा शेयर अंतरण एजेंटों के पास, यह सत्यापन कराने के लिए कि तकनीकी अपेक्षाओं का पूर्णरूपेण पालन किया गया है, अग्रेषित किया जाएगा. रजिस्ट्रार और/शेयर अंतरण एजेंट, अगर कोई शेयर प्रमाणपत्र हो तो उसके साथ अंतरण-प्रपत्र, पुनःप्रस्तुत करने के लिए अंतरिती के पास तब तक नहीं लौटाएंगे जब तक पंजीकरण के लिए विधिवत् रूप से स्टांप लगाया गया और ठीक तरह से निष्पादित अंतरण प्रमाणपत्र बैंक में प्रस्तुत न किया गया हो और उसके साथ, संबंधित प्रमाणपत्र और ऐसे दूसरे सबूत संलग्न न किये जाएं, जो ऐसा अंतरण करने की दृष्टि से अंतरणकर्ता का हक दर्शाने के लिए मंडल द्वारा अपेक्षित हो.

स्पष्टीकरण : "तकनीकी ज़रूरतें" अर्थात्

(क) अंतरण विलेख पर विधिवत् स्टांप लगाया जाएगा ;

(iii) जब तक विजया बैंक, किसी सक्षम क्षेत्राधिकार से, प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जो भी हो, प्राप्त न कर ले, वह इन निष्पादकों अथवा प्रशासकों को पहचानने के लिए बाध्य नहीं होगा.

परंतु यह कि अगर किसी मामले में मंडल, अपने स्वनिर्णय से यह ठीक समझे तो, मंडल के लिए यह यथेष्ट होगा कि वह, क्षतिपूर्ति के संबंध में अथवा अन्यथा, उन नियमों पर जो कि वह ठीक समझे, प्रोबेट पत्र अथवा प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा ऐसे अन्य कानूनी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को त्यागे दे.

(iv) अगर शेयरधारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप, कोई व्यक्ति किसी शेयर का हकदार बन जाए और शेयरधारक के दिवालेपन, शोधन अक्षमता अथवा परिसमापन के परिणामस्वरूप, कोई व्यक्ति शेयर का हकदार बन जाए तो, उसका सबूत पेश करने पर, उसे अधिकार होगा कि -

(क) वह, ऐसे शेयर के संबंध में शेयरधारक के रूप में अपना नाम पंजीकृत करवाए.

(ख) वह, शेयर का अंतरण उसी तरह से करे जैसे वह व्यक्ति करता जिससे उसने हक हासिल किया हो.

21. ऐसे शेयरधारक जो पंजीकरण के लिए अनर्ह हो जाते हैं

शेयरधारक के रूप में, चाहे अकेले ही अथवा किसी दूसरे व्यक्ति अथवा दूसरे व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत किसी भी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह, किसी शेयर के संबंध में पंजीकृत किए जाने के लिए अनर्ह होते ही निदेशक मंडल को उसकी सूचना दे.

"स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य के लिए पंजीकरण हेतु शेयरधारक योग्य नहीं हो सकते हैं -

(क) यदि वह नाबालिग का संरक्षक है जबकि नाबालिग वयस्क हो चुका है ;

(ख) यदि वह कर्ता के रूप में शेयर धारित करता है जबकि वह अब कर्ता नहीं है"

22. शेयरों की मांग

मंडल, समय-समय पर शेयरधारकों से उनके द्वारा धारित उन शेयरों के प्रति, जिनको आबंटन की शर्तों के अनुसार निश्चित समय पर अदा नहीं करना पडता है, अदत्त रही समस्त धनराशि की ऐसी मांग कर सकता है जो वह ठीक समझे और प्रत्येक शेयरधारक द्वारा, उससे इस तरह

IndiaCode

खर्च का भुगतान करने के बाद, ऐसे खोए हुए अथवा नष्ट हुए प्रमाणपत्र के हकदार व्यक्ति को उसके बदले डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी किया जाए.

6. शेयरों का समेकन और उप-विभाजन

शेयरधारक(कों) द्वारा किए गए लिखित आवेदन पर, मंडल अथवा उसके द्वारा नामोद्दिष्ट समिति, उसके पास समेकन/उप-विभाजन के लिए प्रस्तुत ,जो भी हो, शेयरों का समेकन अथवा उप-विभाजन कर सकती है और बैंक को उसकी लागत, प्रभार और खर्च और मामले के और उससे संबंधित प्रासंगिक खर्च का भुगतान करने पर उसके बदले नया/नए प्रमाणपत्र जारी सकती है.

7. शेयरों का अंतरण

(i) बैंक के शेयरों का हर एक अंतरण, इसके साथ संलग्न फार्म "ए " में अथवा किसी ऐसे दूसरे फार्म में, जिसके लिए समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदन दिया जाए, अंतरण प्रपत्र द्वारा किया जाएगा और संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरणकर्ता और अंतरिती, द्वारा अथवा की ओर से विधिवत् रूप से उस पर स्टांप लगाया, दिनांकित और निष्पादित किया जाएगा.

(ii) शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरण-प्रपत्र, बैंक को उसके प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक उसके संबंध में शेयर रजिस्टर में अंतरिती का नाम न दर्ज किया जाए, अंतरणकर्ता के बारे में यह मान लिया जाएगा कि वह, ऐसे शेयरों का धारक है.

(iii) बैंक द्वारा, अंतरण का पंजीकरण करने के अनुरोध और शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरण-प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरांत, मंडल अथवा मंडल द्वारा नामोद्दिष्ट समिति द्वारा, शेयर प्रमाणपत्र के साथ उक्त अंतरण-प्रपत्र, रजिस्ट्रार और/अथवा शेयर अंतरण एजेंटों के पास, यह सत्यापन कराने के लिए कि तकनीकी अपेक्षाओं का पूर्णरूपेण पालन किया गया है, अग्रेषित किया जाएगा. रजिस्ट्रार और/शेयर अंतरण एजेंट, अगर कोई शेयर प्रमाणपत्र हो तो उसके साथ अंतरण-प्रपत्र, पुन:प्रस्तुत करने के लिए अंतरिती के पास तब तक नहीं लौटाएंगे जब तक पंजीकरण के लिए विधिवत् रूप से स्टांप लगाया गया और ठीक तरह से निष्पादित अंतरण प्रमाणपत्र बैंक में प्रस्तुत न किया गया हो और उसके साथ, संबंधित प्रमाणपत्र और ऐसे दूसरे सबूत संलग्न न किये जाएं, जो ऐसा अंतरण करने की दृष्टि से अंतरणकर्ता का हक दर्शाने के लिए मंडल द्वारा अपेक्षित हो.

स्पष्टीकरण : "तकनीकी जरूरतें" अर्थात्

(क) अंतरण विलेख पर विधिवत् स्टांप लगाया जाएगा ;

(iii) जब तक विजया बैंक, किसी सक्षम क्षेत्राधिकार से, प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जो भी हो, प्राप्त न कर ले, वह इन निष्पादकों अथवा प्रशासकों को पहचानने के लिए बाध्य नहीं होगा.

परंतु यह कि अगर किसी मामले में मंडल, अपने स्वनिर्णय से यह ठीक समझे तो, मंडल के लिए यह यथेष्ट होगा कि वह, क्षतिपूर्ति के संबंध में अथवा अन्यथा, उन नियमों पर जो कि वह ठीक समझे, प्रोबेट पत्र अथवा प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा ऐसे अन्य कानूनी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को लयाग दे.

(iv) अगर शेयरधारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप, कोई व्यक्ति किसी शेयर का हकदार बन जाए और शेयरधारक के दिवालेपन, शोधन अक्षमता अथवा परिसमापन के परिणामस्वरूप, कोई व्यक्ति शेयर का हकदार बन जाए तो, उसका सबूत पेश करने पर, उसे अधिकार होगा कि -

(क) वह, ऐसे शेयर के संबंध में शेयरधारक के रूप में अपना नाम पंजीकृत करवाए.

(ख) वह, शेयर का अंतरण उसी तरह से करे जैसे वह व्यक्ति करता जिससे उसने हक हासिल किया हो.

IndiaCode

21. ऐसे शेयरधारक जो पंजीकरण के लिए अनर्ह हो जाते हैं

शेयरधारक के रूप में, चाहे अकेले ही अथवा किसी दूसरे व्यक्ति अथवा दूसरे व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत किसी भी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह, किसी शेयर के संबंध में पंजीकृत किए जाने के लिए अनर्ह होते ही निदेशक मंडल को उसकी सूचना दे.

"स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य के लिए पंजीकरण हेतु शेयरधारक योग्य नहीं हो सकते हैं -

(क) यदि वह नाबालिग का संरक्षक है जबकि नाबालिग वयस्क हो चुका है ;

(ख) यदि वह कर्ता के रूप में शेयर धारित करता है जबकि वह अब कर्ता नहीं है"

22. शेयरों की मांग

मंडल, समय-समय पर शेयरधारकों से उनके द्वारा धारित उन शेयरों के प्रति, जिनको आबंटन की शर्तों के अनुसार निश्चित समय पर अदा नहीं करना पडता है, अदत्त रही समस्त धनराशि की ऐसी मांग कर सकता है जो वह ठीक समझे और प्रत्येक शेयरधारक द्वारा, उससे इस तरह

से की गई प्रत्येक मांग की रकम का भुगतान उस व्यक्ति को और उस समय और उस स्थान पर करना होगा जो मंडल द्वारा नियत किया जाए. मांग की रकम का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है.

23. संकल्प द्वारा तारीख की मांग

किसी मांग के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसे उस समय किया गया है जिस समय ऐसी मांग करने का प्राधिकार देते हुए मंडल का संकल्प पारित किया गया हो और रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा उसका भुगतान उस तारीख को अथवा मंडल के स्वनिर्णय से निश्चित उत्तरवर्ती तारीख को, करवाया जाए.

24. मांग की नोटिस

भुगतान का समय निर्दिष्ट करते हुए हर मांग के लिए कम से कम 30 दिनों की नोटिस दी जाएगी बशर्ते कि ऐसी मांग के भुगतान के लिए दिये गये समय से पहले, मंडल, लिखित रूप से शेयरधारकों को नोटिस देकर उसका प्रतिसंहरण कर सकता है.

25. मांग का भुगतान करने के लिए समय बढाना

मंडल, समय-समय पर और अपने स्वविवेकानुसार, शेयरधारकों के निवास स्थान की दूरी का लिहाज करते हुए अथवा किसी अन्य ठोस कारण से सब शेयरधारकों अथवा उनमें से किसी के लिए किसी मांग का भुगतान करने के लिए निश्चित समय बढा सकता है. लेकिन कोई भी शेयरधारक, अधिकार के तौर पर ऐसे विस्तार का हकदार नहीं होगा.

26. संयुक्त धारकों की देयताएं

किसी शेयर के संयुक्त धारकों को पृथक् रूप से और संयुक्त रूप से सभी मांगों का भुगतान करना पडेगा.

27. मांग करने पर निश्चित समय अथवा किस्तों में रकम अदा करना

अगर किसी शेयर के निर्गम के नियमों के अनुसार अथवा अन्यथा किसी निश्चित समय पर अथवा निश्चित समय पर किस्तों में कोई रकम अदा करना हो तो, ऐसी हर एक रकम अथवा किस्त का भुगतान ऐसे किया जाएगा मानो मंडल ने विधिवत् रूप से मांग की हो और उचित नोटिस दी गई हो और मांग के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट सारे प्रावधान, तदनुसार ऐसी रकम अथवा किस्त से संबंधित होंगी.

28. मांग अथवा किस्त पर ब्याज कब अदा किया जाए

अगर किसी मांग अथवा किस्त के संबंध में देय रकम का भुगतान, उसके लिए नियत दिन अथवा उससे पहले न किया जाए तो, तत्समय धारक अथवा उस शेयर के आबंटिती द्वारा, जिसके संबंध में मांग की गई होगी अथवा किस्त देय हुई होगी, भुगतान के लिए नियत दिन से वास्तविक भुगतान के समय तक ऐसी दर से जो मंडल द्वारा, समय-समय पर निश्चित की जाए, ब्याज अदा किया जाना होगा. लेकिन मंडल, अपने स्वविवेकानुसार, पूर्णतः अथवा अंशतः ऐसे ब्याज के भुगतान का अधिल्यजन कर सकता है.

29. शेयरधारकों द्वारा मांग का भुगतान न किया जाना

जब तक शेयरधारक ने,उसके द्वारा धारित हर एक शेयर के संबंध में तत्समय देय सभी मांगों का, ऐसे ब्याज और खर्च के साथ जो लगाए अथवा प्रभारित किए जाएं, अकेले ही अथवा दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भुगतान न किया हो वह, कोई लाभांश प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही वह शेयरधारक के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा.

30. मांग अथवा किस्त का भुगतान न करने पर नोटिस

अगर कोई शेयरधारक, किसी शेयर के संबंध में, मूलधनराशि अथवा ब्याज के रूप में देय किसी मांग अथवा किस्त अथवा किसी रकम का पूर्णतः अथवा अंशतः भुगतान, उसके लिए नियत दिन अथवा उससे पहले न करे तो, विजया बैंक, तदनंतर किसी भी समय उस अवधि के दौरान जब मांग अथवा किस्त अथवा उसका कोई अंश अथवा कोई रकम अदत्त रहे अथवा उसके संबंध में न्याय निर्णय अथवा डिक्री पूर्णतः अथवा अंशतः असंतुष्ट हो, ऐसे शेयरधारक अथवा उस व्यक्ति के नाम(अगर कोई हो तो) जो प्रेषण के जरिए शेयर का हकदार बने, नोटिस देकर उसे यह कह सकता है कि वह, अदत्त रही ऐसी मांग अथवा किस्त अथवा उसका कोई अंश अथवा अन्य रकम, उस ब्याज के साथ जो उपचित हुआ हो और ऐसे सारे खर्च (कानूनी अथवा अन्यथा) जो विजया बैंक ने, इस तरह से भुगतान न करने के कारण, अदा किए हों अथवा उठाए हों, अदा करे.

31. समपहरण की नोटिस

समपहरण में, नोटिस की तारीख से कम से कम चौदह दिन बाद होते हुए, उस दिन का और उस स्थान अथवा उन स्थानों का उल्लेख होगा, जहां ऐसी मांग अथवा किस्त अथवा ऊपर बताए गए अनुसार किसी अंश अथवा अन्य रकम और ब्याज तथा खर्च का भुगतान करना होगा. नोटिस में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि उसके निश्चित दिन अथवा उससे पहले और नियत स्थान में भुगतान न करने पर,जिस शेयर के संबंध में मांग की गई हो अथवा किस्त का भुगतान देय हो, उसका समपहरण किया जा सकेगा.

32. चूक होने पर समपहृत किए जानेवाले शेयर

अगर ऊपर बताए गए अनुसार किसी नोटिस की अपेक्षाओं की पूर्ति न हो तो, जिन शेयरों के संबंध में, समस्त मांगों अथवा किस्तों, ब्याज और खर्च अथवा उसके संबंध में देय रकम का

भुगतान न करने के कारण तदनंतर किसी समय नोटिस दी गई हो,उनका उस आशय के मंडल के संकल्प द्वारा समपहरण किया जाएगा. ऐसे समपहरण में शामिल समपहृत शेयरों के संबंध में घोषित, परंतु समपहरण से पहले वास्तव में अदत्त लाभांश समाविष्ट होगा.

33. रजिस्टर में समपहरण की प्रविष्टि

जब विनियम 32 के अंतर्गत किसी शेयर का समपहरण हो तब रजिस्टर में तारीख के साथ समपहरण की प्रविष्टि डाली जाएगी.

34. समपहृत शेयर, विजया बैंक की संपत्ति होगी और उसे बेचा जा सकेगा

समपहृत किसी शेयर के बारे में मान लिया जाएगा कि वह विजया बैंक की संपत्ति है और उसे, उन नियमों पर और उस तरीके से, जिसके बारे में मंडल द्वारा निर्णय लिया जाए, किसी भी व्यक्ति को बेचा, पुन:आबंटित अथवा अन्यथा निपटाया जा सकेगा.

35. समपहरण को निष्प्रभावित करने का अधिकार

इससे पहले कि विनियम 32 के अंतर्गत सपमहृत किसी शेयर को बेचा जाए, पुन:आबंटित किया जाए अथवा अन्यथा निपटाया जाए, मंडल, किसी भी समय, उन शर्तों पर जो वह ठीक समझे, उसका समपहरण निष्प्रभावित कर सकता है.

36. शेयरधारकों द्वारा समपहरण के समय देय रकम और ब्याज का भुगतान

ऐसा कोई भी शेयरधारक, जिसके शेयरों का समपहरण किया गया हो, समपहरण के बावजूद, समपहरण के समय, उस पर ऐसी दर से जो मंडल द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और उसका पूर्णत: अथवा अंशत: भुगतान करने के लिए मंडल द्वारा प्रवर्तित किया जाए, भुगतान होने तक, ब्याज के साथ, ऐसे शेयरों के कारण अथवा उनके संबंध में देय समस्त मांगो, किस्तों, ब्याज, खर्च और अन्य रकम का, भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उसे तत्काल विजया बैंक को भुगतान करना पडेगा.

37. आंशिक भुगतान के जरिए समपहरण रोका नहीं जा सकेगा

किसी शेयरों के संबंध में देय मांगों अथवा अन्य रकम के लिए बैंक के पक्ष में न कोई न्याय निर्णय, न ही कोई डिक्री, न ही उसके अंतर्गत कोई भुगतान अथवा तुष्टि, न ही विजया बैंक द्वारा किसी ऐसी रकम के अंश की प्राप्ति, जो किसी शेयरों के संबंध में, या तो मूलधनराशि या ब्याज के रूप में समय-समय पर किसी शेयरधारक से देय हो, न ही किसी रकम के भुगतान के संबंध में विजया बैंक द्वारा दिया गया कोई अनुग्रह, इन विनियमों के अंतर्गत ऐसे शेयरों का समपहरण रोक सकेगा.

38. शेयरों का समपहरण, बैंक के खिलाफ समस्त दावे निर्वापित करेगा

समपहरण के समय, शेयरों का समपहरण, शेयर के संबंध में बैंक के खिलाफ सारे हितों और समस्त दावों और मांगों को तथा इन विलेखों में अभिव्यक्त रूप से अधिलयक्त अधिकारों को छोडकर, शेयर के प्रति प्रासंगिक दूसरे सभी अधिकारों को निर्वापित करेगा.

39. समपहरण के उपरांत बिक्री, पुनःनिर्गम, पुनःआबंटन अथवा निपटान किए जाने पर मूल शेयर अकृत और शून्य होंगे

पूर्ववर्ती विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कोई बिक्री, पुनःआबंटन अथवा अन्य रूप से निपटान किए जाने पर, संबंधित शेयरों के संबंध में मूल रूप से जारी किया गया/ किए गए प्रमाणपत्र(जब तक कि चूककर्ता सदस्य ने बैंक द्वारा उसकी मांग किए जाने पर उसका पहले ही अभ्यर्पण न किया हो) रद्द होगा/होंगे और अकृत एवं शून्य होगा/होंगे और उक्त शेयरों के संबंध में उसके हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नया प्रमाणपत्र अथवा नए प्रमाणपत्र जारी करने का मंडल का हक प्रभावहीन नहीं होगा.

40. समपहरण संबंधी प्रावधानों का लागू होना

समपहरण से संबंधित इन विनियमों के प्रावधान, उस रकम का, जो शेयर का निर्गम होने पर निश्चित समय पर, चाहे शेयरों के अंकित मूल्य के निमित्त हो या प्रीमियम के रूप में, इस तरह देय हो जो उसे विधिवत् रूप से मांग किए जाने पर अदा करना पडता, भुगतान न करने की दशा में लागू होंगे.

41. शेयरों पर धारणाधिकार

(i) बैंक का, नीचे उल्लिखित पर प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार होगा-

(क) किसी निर्दिष्ट शेयर के संबंध में मांगी गई अथवा निश्चित समय पर देय समस्त धनराशि के लिए(चाहे वर्तमान रूप से देय हो या नहीं) हर एक शेयर पर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर न हो);

(ख) किसी अकेले व्यक्ति अथवा उसकी संपदा द्वारा बैंक को वर्तमान रूप से देय समस्त धनराशि के लिए उस अकेले व्यक्ति के नाम पंजीकृत किए गए सारे शेयरों पर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर न हो);

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम पंजीकृत सभी शेयरों पर(चाहे अकेले ही अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) और अकेले ही अथवा दूसरे व्यक्ति अथवा बैंक के साथ संयुक्त रूप से उसके ऋणों, देयताओं और वचनबंध के लिए,

चाहे उसके भुगतान, पूर्ति अथवा उन्मोचन के लिए अवधि का वास्तव में निर्धारण किया गया हो या नहीं. उसकी बिक्री की प्राप्तियों पर और बैंक द्वारा उसके धारणाधिकार पर किसी शेयर में साम्यक हित को पहचाना नहीं जाएगा.

यह कि निदेशक मंडल, किसी भी समय किसी शेयर के संबंध में यह घोषणा कर सकता है कि उसे इस खंड के प्रावधानों से पूर्णत: अथवा अंशत. मुक्त किया गया है.

(ii) अगर किसी शेयर पर बैंक का कोई धारणाधिकार हो तो वह उस पर देय समस्त लाभांश पर लागू होगा.

42. शेयरों की बिक्री द्वारा धारणाधिकार लागू करना

(i) बैंक, उन शेयरों को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार हो, उस तरीके से जो मंडल ठीक समझे, बेच सकता है -

(क) अगर वह रकम, जिस पर धारणाधिकार मौजूद हो, वर्तमान रूप से देय हो;

(ख) अगर, शेयर के तत्समय पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु अथवा दिवालेपन के कारण उसके हकदार व्यक्ति को उस रकम के अंश का, जिसके संबंध में धारणाधिकार मौजूदा हो और जो इस समय देय हो, उल्लेख करते हुए और उसके भुगतान की मांग करते हुए लिखित रूप से नोटिस देने के बाद चौदह दिन समाप्त हुए हों.

(ii) ऐसी बिक्री लागू करने के लिए, मंडल, खरीदे गए शेयरों का उसके खरीदार के नाम अंतरित करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है.

43. शेयरों की बिक्री प्राप्तियों का विनियोजन

बिक्री लागत की कटौती करने के बाद विनियम 42 के अंतर्गत शेयरों की किसी बिक्री की निवल प्राप्तियों का उस ऋण या देयता की तुष्टि के प्रति, जिसके संबंध में धारणाधिकार मौजूद हो, उस हद तक, जो वर्तमान रूप से देय हो, विनियोजन किया जाएगा और अगर कोई रकम बचे तो उसे शेयरधारकों अथवा उस व्यक्ति को, जो बेच गए शेयरों के प्रेषण द्वारा हकदार हो, दिया जाएगा.

44. समपहरण का प्रमाणपत्र

विजया बैंक के किसी निदेशक अथवा कंपनी सचिव या बैंक का अन्य कोई अधिकारी जो वेतनमान II श्रेणी का हो, इस संबंध में विधिवत् रूप से प्राधिकृत किसी दूसरे अधिकारी के हाथ से लिखा गया, इस आशय का प्रमाणपत्र कि शेयर के संबंध में मांग की गई थी और

शेयर का समपहरण, मंडल के संकल्प द्वारा किया गया था, इन शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के संबंध में उसमें उल्लिखित तथ्यों का निर्णायक प्रमाण होगा.

45. समपहृत शेयर के खरीदार और आबंटिती का हक

विजया बैंक, किसी बिक्री, पुन:आबंटन अथवा अन्य प्रकार से निपटान के संबंध में शेयर के लिए अगर कोई प्रतिफल दिया गया हो तो उसे प्राप्त कर सकता है और उस व्यक्ति को, जिसे ऐसे शेयर बेचे गए हों, पुन:आबंटित किए गए हों अथवा निपटाए गए हों, शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और अगर कोई प्रतिफल हो तो उसका विनियोजन सुनिश्चित करने के लिए बद्ध नहीं होगा न ही, शेयर के समपहरण, बिक्री, पुन:आबंटन अथवा अन्य निपटान के संदर्भ में कार्यवाही में किसी अनियमितता अथवा अविधिमान्यता से शेयर पर उसका हक प्रभावित करेगा और बिक्री द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति का उपचार केवल नुकसानी से और अनन्य रूप से विजया बैंक के खिलाफ होगा.

46. शेयरधारकों को नोटिस अथवा दस्तावेज देना

(i) बैंक, किसी शेयरधारक के नाम, या तो वैयक्तिक रूप से अथवा उसके पंजीकृत पते पर साधारण डाक से अथवा अगर भारत में उसका कोई पंजीकृत पता न हो तो उसे नोटिस देने की दृष्टि से उसके द्वारा बैंक को उपलब्ध कराए गए भारत के अंदर किसी पते पर, नोटिस अथवा दस्तावेज भेज सकता है

(ii) जहां दस्तावेज अथवा नोटिस डाक से भेजी गई हो, वहां ऐसे दस्तावेज अथवा नोटिस को तामील किया गया तब माना जाएगा जब दस्तावेज अथवा नोटिस सहित पत्र, ठीक पते पर, पूर्व भुगतान करते हुए और डाक से भेजा गया हो.

यह कि जहां शेयरधारक ने, पहले ही बैंक को सूचित किया हो कि उसे दस्तावेज, डाक प्रमाणपत्र अथवा पावती सहित अथवा रहित पंजीकृत डाक से या कूरियर सेवा या इलेक्ट्रानिक मोड के ज़रिए भेजा जाए और उसका खर्च भरने के लिए उसने बैंक में पर्याप्त राशि जमा की हो, वहां दस्तावेज अथवा नोटिस को तब तक तामील किया गया नहीं माना जाएगा जब तक उसे शेयरधारक द्वारा सूचित किए गए ढंग से तामील न किया गया हो. और बैठक की नोटिस के मामले में,उससे संबंधित पत्र, डाक से या इलेक्ट्रानिक मिडिया से जैसी भी स्थिति हो, भेजे गए अडतालीस घंटे बाद तथा अन्य किसी मामले में, उसे तामील तब माना जाएगा जब उस पत्र को सामान्य डाक से सुपुर्द किया गया हो.

(iii) भारत में प्रचलित किसी समाचार पत्र में विज्ञापित नोटिस अथवा दस्तावेज को बैंक के उन शेयरधारकों पर, जिनका भारत में कोई पंजीकृत पता न हो और जिन्होंने उन्हें नोटिस देने के लिए भारत के अंदर कोई पता बैंक को उपलब्ध नहीं कराया हो, उस दिन तामील किया गया माना जाएगा जब वह विज्ञापन प्रकाशित हो.

(iv) शेयर के संबंध में रजिस्टर में पहले नामित संयुक्त धारक के नाम तामील करते हुए शेयरधारक के संयुक्त धारक के नाम बैंक द्वारा नोटिस अथवा दस्तावेज भेजा जा सकता है. और इस तरह दी गई नोटिस, उक्त शेयरों के सभी धारकों के लिए पर्याप्त नोटिस होगी.

(v) शेयरधारक की मृत्यु होने अथवा उसके दिवालेपन के परिणामस्वरूप शेयर केहकदार व्यक्तियों को बैंक द्वारा नोटिस अथवा दस्तावेज, उनके नाम अथवा मृत व्यक्ति के हकदार प्रतिनिधियों अथवा दिवालिया के समनुदेशितियों अथवा उसी प्रकार के वर्णन के किसी व्यक्ति के नाम संबोधित पूर्वदत्त पत्र डाक से , हकदारी का दावा करनेवाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए भारत में, अगर कोई पता हो तो उस पते पर भेजा जाए अथवा जब तक कि ऐसा पता उपलब्ध न कराया जाए दस्तावेज को उस ढंग से तामील किया जाए मानो मृत्यु अथवा दिवालेपन न होने पर उसे तामील किया गया होता.

(vi) विजया बैंक द्वारा दी जानेवाली नोटिस पर हस्ताक्षर हाथ से किए जाए या मुद्रित कराए जाए.

IndiaCode

अध्याय III

निक्षेपागार में धारित बैंक की प्रतिभूतियां

47. निक्षेपागार और बैंक के बीच करार

बैंक, अपने द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में एक या उससे अधिक निक्षेपागारों के साथ जिसे निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2(ई) में परिभाषित है, उनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए करारनामे पर हस्ताक्षर कर सकता है.

अध्याय IV

शेयरधारकों की बैठकें

56. वार्षिक साधारण बैठक बुलाने के लिए नोटिस

(i) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा विजया बैंक के किसी अधिकारी जो वेतनमान VII श्रेणी का हो या कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित, शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक बुलाने की नोटिस, बैठक से कम से कम ठीक

इक्कीस दिन पहले, भारत में प्रचलित कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी.

(ii) ऐसी हर एक नोटिस में, बैठक के समय, दिनांक और स्थान का और उस बैठक में किए जानेवाले कारोबार के संव्यवहार का भी उल्लेख किया जाएगा.

(iii) ऐसी बैठक का समय और दिनांक, मंडल द्वारा यथा निर्दिष्ट होगा. बैठक, विजया बैंक के प्रधान कार्यालय स्थल में संपन्न होगी.

57. असाधारण साधारण बैठक

(i) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के निदेशकों में से कोई एक निदेशक, अगर मंडल का ऐसा निदेश हो तो या तो केंद्र सरकार से या सभी शेयरधारकों के समस्त मताधिकारों में से कुल मिलाकर कम से कम दस प्रतिशत अधिकार रखते हुए अन्य शेयरधारकों से ऐसी बैठक बुलाने की मांग की गई हो तो, शेयरधारकों की असाधारण बैठक बुला सकते हैं.

(ii) उप-विनियम (i) में निर्दिष्ट मांग में, उस उद्देश्य का उल्लेख किया जाएगा जिसके लिए असाधारण साधारण बैठक बुलाने की जरूरत हो, परंतु उसमें उसी तरह के अनेक दस्तावेज हो सकते हैं जिन पर प्रत्येक रूप से एक या उससे अधिक मांगकर्ताओं ने अपने हस्ताक्षर किए हों.

(iii) जहां दो या उससे अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से शेयर धारित किए हों, वहां उनमें से किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित मांग अथवा बैठक बुलाने की नोटिस का, इस विनियम के प्रयोजन के लिए, वही बल और प्रभाव होगा मानो उस पर सब ने हस्ताक्षर किए हों.

(iv) असाधारण साधारण बैठक के समय, दिनांक और स्थान के बारे में निर्णय मंडल द्वारा लिया जाएगा :

यह कि केंद्र सरकार अथवा अन्य शेयरधारक की मांग के अनुसार बुलाई गई बैठक, मांग प्राप्त हुए 45 दिनों के अंदर बुलाई जाएगी.

(v) अगर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, जो भी हो, उप-विनियम (i) की अपेक्षानुसार, उप-विनियम (iv) के परंतुक में अनुबद्ध अवधि के अंदर बैठक न बुलाए तो, ऐसी बैठक, मांग की गई तारीख से तीन महीने के अंदर मांगकर्ताओं द्वारा ही बुलाई जा सकती है

यह कि इस उप-विनियम में किसी बात के बारे में यह नहीं मान लिया जाएगा कि वह, उक्त तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले विधिवत् रूप से बुलाई गई बैठक को उस अवधि की समाप्ति के बाद किसी दूसरे दिन तक स्थगित करने से रोकेगी.

(vi) जहां तक हो सके, मांगकर्ताओं द्वारा उप-विनियम (v) के अंतर्गत बैठक उसी तरह से बुलाई जाएगी जैसे मंडल द्वारा अन्य साधारण बैठकें बुलाई जाती हैं.

58. साधारण बैठक का कोरम

(i) शेयरधारकों की किसी बैठक में कारोबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे कारोबार के प्रारंभ में व्यक्तिगत रूप से ऐसी बैठक में मताधिकार चलाने के हकदार कम से कम पांच शेयरधारकों का कोरम मौजूद न हो.

(ii) अगर केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों की मांग पर बुलाई गई बैठक के मामले में, बैठक करने के लिए नियत समय के बाद आधे घंटे के अंदर कोरम मौजूद न हो तो, बैठक समाप्त हो जाएगी.

(iii) किसी दूसरे मामले में, अगर बैठक करने के लिए नियत समय के बाद आधे घंटे के अंदर कोरम उपलब्ध न हो तो, बैठक, अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर अथवा ऐसे किसी दूसरे दिन और ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए, स्थगित होगी. अगर स्थगित हुई बैठक में, बैठक करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के अंदर कोरम माजूद न हो तो, ऐसी स्थगित बैठक में व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रॉक्सी द्वारा मौजूद शेयरधारक अथवा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, कोरम होंगे और उसमें उस कारोबार का संव्यवहार कर सकते हैं जिसके लिए बैठक बुलाई गई हो.

यह कि वार्षिक साधारण बैठक, उस तारीख के बाद स्थगित नहीं की जाएगी जिस तारीख के अंदर अधिनियम की धारा 10(ए) (1) के अनुसार ऐसी वार्षिक साधारण बैठक संपन्न होगी और अगर अगले सप्ताह में उसी दिन स्थगित बैठक का ऐसा प्रभाव हो तो, वार्षिक साधारण बैठक नहीं बुलाई जाएगी, परंतु अगर कोरम मौजूद हो तो बैठक के लिए नियत समय से एक घंटे के अंदर अथवा उस समय से एक घंटा समाप्त होने के तुरंत बाद बैठक के कारोबार का संव्यवहार प्रारंभ किया जाएगा और जो शेयरधारक उस समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रॉक्सी द्वारा अथवा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मौजूद हो, वे कोरम बनेंगे.

59. साधारण बैठक में अध्यक्ष

(i) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशकों में से कोई एक ऐसा निदेशक जिसे साधारण रूप से

अथवा किसी निर्दिष्ट बैठक के सिलसिले में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में, इस निमित्त कार्यपालक निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाए, बैठक के अध्यक्ष होंगे और अगर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य निदेशक बैठक में मौजूद न हो तो, बैठक में मौजूद किसी दूसरे निदेशक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है.

(ii) साधारण बैठक के अध्यक्ष, साधारण बैठकों में प्रक्रिया को विनियमित करेंगे और विशेषकर उनको यह अधिकार होगा कि वे, यह निर्णय लें कि शेयरधारकों को किस क्रम में बैठक को संबोधित करने का मौका दिया जाए, भाषण के लिए समय सीमा निश्चित करें और उसे उस समय बंद करें जब उनकी राय में किसी मामले पर पर्याप्त रूप से बहस हो चुकी है और बैठक को स्थगित करें.

60. साधारण बैठक में भाग लेने के हकदार व्यक्ति

(i) उप-विनियम (ii) के अधीन विजया बैंक के सभी निदेशकों और सभी शेयरधारकों को साधारण बैठक में भाग लेने का हक होगा.

(ii) साधारण बैठक में भाग लेनेवाले शेयरधारक (जो केंद्र सरकार न हो) या निदेशक से अपेक्षा की जाती है कि उसका मताधिकार पहचानने और निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, वह, अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में, जिसमें नीचे उल्लिखित से संबंधित ब्यौरे दिए गए हों, एक फार्म पर हस्ताक्षर कर उसे बैंक के सुपुर्द करे -

(क) उसका पूरा नाम और पंजीकृत पता;

(ख) उसके शेयरों की सुभिन्न संख्या;

(ग) क्या उसे मत देने का अधिकार है और व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रॉक्सी द्वारा अथवा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसके कितने मत देने का अधिकार है.

61. साधारण बैठक में मतदान

(i) किसी साधारण बैठक में, किसी संकल्प को, जब तक मतदान की मांग न की जाए, हाथ दिखाकर निर्णीत किया जाएगा.

(ii) अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण बैठक में प्रस्तुत हर एक मामला, बहुमत से निर्णीत किया जाएगा.

(iii) जब तक, उप-विनियम (i) के अंतर्गत मतदान की मांग न की जाए, बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि किसी संकल्प को, हाथ दिखाकर, या तो सर्वसम्मति से या बहुमत से स्वीकार किया गया है अथवा नहीं किया गया है और कार्यवाही के कार्यवृत्त सहित बहियों में उस आशय की प्रविष्टि, ऐसे संकल्प के पक्ष में अथवा विरुद्ध, मतों की संख्या अथवा उसके अनुपात के सबूत के बगैर, तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगी.

(iv) किसी संकल्प के संबंध में हाथ दिखाकर मतदान के परिणाम की घोषणा करने से पहले अथवा उसके उपरांत, बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने स्वयं प्रस्ताव से मतदान कराने का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रॉक्सी द्वारा मौजूद और विजया बैंक में ऐसे शेयर, जो संकल्प के संबंध में ऐसा मताधिकार प्रदान करते हों जो संकल्प के संबंध में कुल मताधिकार के एक पांचवें भाग से कम न हो, रखने वाले किसी शेयरधारक अथवा शेयरधारकों द्वारा इस निमित्त मांग किए जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान कराने का आदेश दिया जाएगा.

(v) मांग करनेवाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा मतदान की मांग किसी भी समय वापस ली जा सकती है.

(vi) स्थगन अथवा बैठक के अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर मतदान की मांग को तत्क्षण स्वीकार किया जाएगा.

(vii) किसी दूसरे सवाल पर मांग के अनुसार मतदान, बैठक के अध्यक्ष के यथा निदेशानुसार उस समय किया जाएगा जो मांग किए गए समय से, अडतालीस घंटे बाद न हो.

(viii) मताधिकार चलानेवाले किसी व्यक्ति की अर्हता के बारे में और साथ ही, मतदान के मामले में, किसी व्यक्ति द्वारा मतदान करने की क्षमता के संबंध में मतों की संख्या के बारे में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

61ए चुनाव में मतपत्र निरीक्षक

(i) जहां चुनाव किया जाना है, बैठक का अध्यक्ष चुनाव के मतों की संवीक्षा के लिए तथा तत्पश्चात् उसके पास रिपोर्ट करने के लिए दो मतपत्रा निरीक्षकों को नियुक्त करेंगे.

(ii) बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह चुनाव के परिणाम घोषित करने से पहले किसी भी समय कार्यालय से मतपत्र निरीक्षक को निकाल सकता है और मतपत्र निरीक्षक के कार्यालय में ऐसे निष्कासन या अन्य किसी कारण से हुई रिक्ति को भरे.

IndiaCode

(iii) इस विनियम के अधीन नियुक्त दो मतपत्र निरीक्षकों में से एक हमेशा बैठक में उपस्थित शेयर धारक होगा (बैंक के अधिकारी या कर्मचारी न होते हुए) बशर्ते कि ऐसा शेयर धारक उपलब्ध है और नियुक्त होने की इच्छा रखता है.

61बी चुनाव की प्रक्रिया और तत्पश्चात् उसके परिणाम

(i) बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह चुनाव की प्रक्रिया को विनियमित करें.

(ii) संकल्प जिस पर चुनाव किया गया था, की बैठक पर लिए गए निर्णय को चुनाव का परिणाम माना जाएगा.

62. साधारण बैठक के कार्यवृत्त

(i) विजया बैंक द्वारा समस्त कार्यवाही के कार्यवृत्त, इस प्रयोजन के लिए रखी गई बहियों में अनुरक्षित किये जाएंगे.

(ii) अगर किसी कार्यवृत्त पर, उस बैठक के, जिसमें कार्यवाहियां चलाई गई, अध्यक्ष द्वारा अथवा अगले उत्तरवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित हो तो, वह कार्यवाहियों का प्रमाण होगा.

(iii) जब तक प्रतिकूल सिद्ध न हो, यह मान लिया जाएगा कि जिन कार्यवाहियों के संबंध में कार्यवृत्त तैयार किए गए थे उनसे संबंधित हर एक साधारण बैठक, विधिवत् रूप से बुलाई गई थी और संपन्न हुई थी और उसमें की गई समस्त कार्यवाहियां विधिवत् रूप से की गईं.

(iv) शेयर धारक द्वारा कार्यवृत्त पुस्तक के निरीक्षण या किसी विशिष्ट बैठक के कार्यवृत्त की प्रति के लिए लिखित अनुरोध किए जाने पर बैंक शेयर धारक को निरीक्षण की अनुमति देगा या कार्यवृत्त की प्रति जैसी भी स्थिति हो प्रस्तुत करेगा.

अध्याय V

निदेशकों का चुनाव

63. साधारण बैठक में चुने जानेवाले निदेशक

(i) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत विजया बैंक की साधारण बैठक में, निदेशक का चुनाव, केंद्र सरकार से भिन्न, रजिस्टर में दर्ज किए गए शेयरधारकों द्वारा, उनमें से किसी में किया जाएगा.

(ii) जहां निदेशक का चुनाव किसी साधारण बैठक में होना हो, वहां उसकी नोटिस, बैठक बुलाने की नोटिस में शामिल किया जाएगा. ऐसे हर एक नोटिस में, चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या और उन रिक्तियों के ब्यौरे जिनके संबंध में चुनाव किया जाएगा, निर्दिष्ट किए जाएंगे.

64. शेयरधारकों की सूची

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के प्रयोजन के लिए, रजिस्टर में दर्ज किए उन शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना हो.

(ii) सूची में, समाविष्ट किए जाएंगे; शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, संख्या और शेयरों की पंजीकृत तारीख सहित उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और उस बैठक के लिए, जिसमें चुनाव होगा, निश्चित तारीख को, उन मतों की संख्या जिनके वे हकदार हों और बैठक के लिए निश्चित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले मंडल अथवा प्रबंध समिति द्वारा निश्चित की जानेवाली कीमत पर, प्रधान कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर खरीदने के लिए सूची की प्रतिलिपियां उपलब्ध होंगी.

65. चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

(i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी अभ्यर्थी का नामांकन तभी विधिमान्य होगा जब,

(क) वह विजया बैंक में 100 शेयर रखनेवाला शेयरधारक हो;

(ख) उसे, नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख को, अधिनियम अथवा योजना के अंतर्गत निदेशक के रूप में अनर्ह घोषित न किया गया हो;

(ग) उसने मांग का भुगतान करने के लिए निश्चित अंतिम तारीख को या उससे पहले, चाहे अकेले ही या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के संबंध में सभी मांगों का भुगतान कर दिया हो.

(घ) नामांकन, लिखित रूप में हो और उस पर अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चुनाव करने के लिए हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा विधिवत् रूप से गठित उनके अटर्नी के हस्ताक्षर हों, परंतु यह कि किसी शेयरधारक द्वारा, जो एक कंपनी हो, नामांकन, उक्त कंपनी के निदेशकों के

संकल्प द्वारा किया जा सकता है और जहां इस तरह से नामांकन किया गया हो, वहां उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें संकल्प पारित किया गया, सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की एक प्रतिलिपि, विजया बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी और उस प्रतिलिपि को ऐसी कंपनी की तरफ से नामांकन मान लिया जाएगा.

(ङ) नामांकन के साथ अथवा नामांकन में, किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, आश्वासन संबंधी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित ऐसा घोषणा-पत्र हो कि वह, नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव में खड़े होने के लिए तैयार है और उसे, या तो अधिनियम के अंतर्गत या योजना या इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अनर्ह घोषित नहीं किया गया है.

(ii) नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक उसे, हर तरह से संपूर्ण सभी संबद्ध दस्तावेजों के साथ प्राप्त न किया गया हो और बैंक के लिए निश्चित तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले किसी कार्य दिवस विजया बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त न किया गया हो.

66. नामांकनों की संवीक्षा

(i) नामांकन की प्राप्ति के लिए निश्चित तारीख के बाद पहले कार्य दिवस, नामांकनों की संवीक्षा की जाएगी और अगर कोई नामांकन विधिमान्य न पाया जाए तो, उसके कारण अभिलिखित करते हुए उसे नामंजूर किया जाएगा. अगर चुनाव के जरिए भरी जानेवाली किसी निर्दिष्ट रिक्ति के लिए एक ही विधिमान्य नामांकन मिला हो तो, इस तरह से नामांकित अभ्यर्थी को तत्काल निर्वाचित मान लिया जाएगा और उसके चुनाव के बारे में उसका नाम और पता प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी अवस्था में, इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और अगर उक्त चुनाव कराने के उद्देश्य से ही बैठक बुलाई गई हो तो, उसे रद्द किया जाएगा.

(ii) अगर चुनाव हो और विधिमान्य नामांकन, चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो, मतदान में बहुमत प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी को निर्वाचित माना जाएगा.

(iii) मौजूदा रिक्ति की पूर्ति करने के लिए चुने गये निदेशक के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने , निर्वाचित किये गए दिनांक अथवा निर्वाचित मान लिये गये दिनांक के अगले दिन से पद ग्रहण किया है.

67. चुनाव संबंधी विवाद

(i) अगर निर्वाचित माने जानेवाले अथवा घोषित किए जानेवाले व्यक्ति की अर्हता अथवा अनर्हता के बारे में अथवा निदेशक के चुनाव की विधिमान्यता के बारे में कोई संदेह अथवा विवाद उत्पन्न हो तो, हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, जो अभ्यर्थी अथवा ऐसे चुनाव में मतदान का हकदार, शेयरधारक हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की गई तारीख से सात दिनों के अंदर, विजया बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकता है और उक्त सूचना में उन आधारों के संपूर्ण ब्यौरे देने होंगे जिनके बलबूते पर उसने चुनाव की विधिमान्यता पर संदेह प्रकट किया हो अथवा विवाद करना चाहा हो.

(ii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत सूचना मिलने के बाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक द्वारा तत्काल ऐसे संदेह अथवा विवाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के अंतर्गत नामित कोई दो निदेशक सहित एक समिति के समक्ष निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा.

(iii) उप-विनियम (ii) में निर्दिष्ट समिति द्वारा ऐसी पूछताछ की जाएगी जो वह आवश्यक समझे और अगर उसे यह पता चले कि चुनाव, एक विधिमान्य चुनाव रहा, तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा उसे यह पता चले कि चुनाव, एक विधिमान्य चुनाव न रहा तो, पूछताछ प्रारंभ की गई तारीख से 30 दिनों के अंदर, नए चुनाव कराने सहित ऐसे आदेश और ऐसे निर्देश देगी जो समिति को उन परिस्थितियों में न्यायोचित प्रतीत हो.

(iv) इस विनियम का अनुसरण करते हुए ऐसी समिति का आदेश और निर्देश निर्णायक होगा.

अध्याय VI

शेयरधारकों के मताधिकार

68. मताधिकार का निर्धारण

(i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गए प्रावधानों के अधीन, साधारण बैठक की तारीख से पहले रजिस्टर की समाप्ति तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक के पास, ऐसी बैठक में हाथ दिखाकर मतदान करने के लिए एक वोट होगा और मतदान के मामले में, उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक-एक वोट होगा.

(ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गए प्रावधानों के अधीन, ऊपर बताए गए अनुसार मताधिकार चलाने के लिए हकदार ऐसे हर एक शेयरधारक के पास, जो कंपनी न हो, व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रॉक्सी द्वारा मौजूद होने पर अथवा जो कंपनी हो, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होने पर, हाथ दिखाकर मतदान करने के लिए एक वोट होगा और मतदान के मामले में, उप-विनियम (i) में यहां ऊपर बताए गए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक-एक वोट होगा.

स्पष्टीकरण - इस अध्याय में "कंपनी" से अभिप्राय है कोई कंपनी निकाय.

(iii) साधारण बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए हकदार बैंक के शेयरधारकों को हक होगा कि वे, अपने स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति(चाहे शेयरधारक हो या नहीं) को नियुक्त करें, परंतु इस तरह से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा.

69. विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

(i) ऐसा शेयरधारक, जो केंद्र सरकार अथवा कंपनी हो, संकल्प द्वारा, जो भी हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को, शेयरधारकों की किसी साधारण बैठक में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह से प्राधिकृत व्यक्ति(जिसे इन विनियमों में "विधिवत् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है), को केंद्र सरकार अथवा उस कंपनी की तरफ से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उन्हीं अधिकारों का उसी तरह से प्रयोग करने का हक होगा मानो वह विजया बैंक का एकल शेयरधारक हो. इस तरह का प्राधिकार, वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसे मामले में, इन में से कोई एक व्यक्ति, केंद्र सरकार/कंपनी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है.

(ii) कोई व्यक्ति, कंपनी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विजया बैंक के शेयरधारकों की बैठक में तब तक भाग नहीं ले सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक विधिवत् रूप से प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करते हुए संकल्प की, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें उसे पारित किया गया हो, सत्य प्रतिलिपि के रूप में यथा प्रमाणित प्रतिलिपि विजया बैंक के प्रधान कार्यालय में, बैठक के लिए निश्चित तारीख से चार दिन पहले जमा न की गई हो.

70. प्रॉक्सियां

(i) प्रॉक्सी का कोई प्रपत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक एकल शेयरधारक के मामले में, उस पर उसने अथवा लिखित रूप में विधिवत् रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी ने अपने हस्ताक्षर न किए हों अथवा संयुक्त धारकों के मामले में, रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक ने अथवा लिखित रूप में विधिवत् रूप से प्राधिकृत उसके

अटर्नी ने अपने हस्ताक्षर न किए हों अथवा कंपनी निकाय के मामले में, उस पर, उसके अधिकारी ने अथवा लिखित रूप में विधिवत् रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी ने अपने हस्ताक्षर न किए हों.

परंतु यह कि प्रॉक्सी के प्रपत्र पर, अगर किसी कारण से कोई शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और उस पर उसका निशान लगाया गया हो तो, उस शेयरधारक द्वारा, पर्याप्त रूप से हस्ताक्षर करने होंगे और किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, आश्वासन संबंधी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा विजया बैंक के अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण करना होगा.

(ii) कोई प्रॉक्सी तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत् रूप से स्टांप न लगाया गया हो और उसे, विजया बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार(अगर कोई हो तो) के अधीन उस पर हस्ताक्षर किए गए हों उसके साथ अथवा नोटरी पब्लिक अथवा मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार की प्रतिलिपि के साथ बैठक के लिए निश्चित तारीख से चार दिन पहले जमा न की गई हो बशर्ते कि मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार इससे पहले विजया बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

(iii) प्रॉक्सी का कोई प्रपत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक वह फार्म "बी" में न हो.

(iv) विजया बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रमाणपत्र, अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.

(v) वैकल्पिक रूप से दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी के प्रपत्र के मामले में, एक ही फार्म निष्पादित करना होगा.

(vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रॉक्सी के प्रपत्र के निष्पादनकर्ता का, उस बैठक में जिससे उस प्रपत्र का संबंध हो, व्यक्तिगत रूप से मताधिकार चलाने का हक होगा.

(vii) विजया बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को, विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा.

विजया बैंक

फार्म ए

शेयर अंतरण फार्म

(विनियम 17 का उप-विनियम (i) देखें)

नीचे उल्लिखित **प्रतिफल के लिए, " अंतरणकर्ता "** एतद्द्वारा **"अंतरिती/अंतरितियों "** के नाम, उन शर्तों पर जिनके अधीन अंतरणकर्ता(ओं) ने अब उक्त शेयर धारित किए हैं, नीचे निर्दिष्ट शेयरों का अंतरण करता है/करते हैं और अंतरिती, एतद्द्वारा, उक्त शर्तों पर ऊपर उल्लिखित शेयर स्वीकार और धारित करने के लिए सहमत है/हैं.

कंपनी का पूरा नाम: अगर कोई व्यवहार किया गया हो तो उस मान्यता प्राप्त शेयर बाजार का नाम :

इक्विटी शेयरों का वर्णन

अंकों में संख्या	शब्दों में संख्या	प्रतिफल(अंकों में)	प्रतिफल(शब्दों में)
सुभिन्न संख्याएं	से तक		

तदनुरूपी प्रमाणपत्र संख्याएं.

अंतरणकर्ता(ओं) {विक्रेताओं} के ब्यौरे	पंजीकृत बही पन्ना सं.	हस्ताक्षर
पूरे नाम	1.----------	1.----------
	2.----------	2.----------
	3.----------	3.----------
	4.----------	4.----------

IndiaCode

प्रमाणीकरण

मैं, एतद्द्वारा इसमें उल्लिखित अंतरणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण करता हूँ.

हस्ताक्षर

नाम :
पता/मुहर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी का नाम व पता

पिन

अंतरणकर्ता(ओं) का/के पूरे नाम	(खरीदार/रों के ब्यौरे)	हस्ताक्षर
	1.----------	1.----------
	2.----------	2.----------
	3.----------	3.----------

व्यवसाय	पता	पिता/पति का नाम
1.		
2.		
3.		

नाम के क्रमानुसार ही अंतरणकर्ता(ओं) का मौजूदा बही पन्ना संख्या, अगर कोई हो तो ----------

लगाए गए स्टांप का मूल्य रु.

आज की तारीख ----------एक हजार नौ सौ----------

स्थान----------

कार्यालय के उपयोगार्थ

जांचकर्ता ----------
हस्ताक्षर के मिलानकर्ता----------
अंतरण रजिस्टर प्रविष्ट सं.----------
अनुमोदन दिनांक----------

बही पन्ना संख्या	कंपनी की कूट संख्या
अंतरिती(यों) के	1.----------
नमूना हस्ताक्षर	2.----------

IndiaCode

प्रमाणीकरण के लिए अनुदेश

जहां अपेक्षित हो,वहां प्रमाणीकरण(अंगूठे का निशान, चिह्न, हस्ताक्षर में अंतर आदि),मैजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक अथवा विशिष्ट कार्यपालक मैजिस्ट्रेट अथवा किसी सरकारी कार्यालय में इसी प्रकार का पद संभालनेवाले और अपने कार्यालय की मुहर का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिस मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के जरिए शेयर प्रवर्तित किए गए हो, उसके सदस्य अथवा अंतरणकर्ता के बैंक के प्रबंधक द्वारा किया जाए.

नोट: नामों की रबड मुहर, अधिमानत: सीधी रेखा में अवश्य लगाई जानी चाहिए. तैथिक क्रम बनाए रखा जाए. अगर सुपुर्दगी, समाशोधन सदस्य बैंक द्वारा की गई हो तो दलाल की समाशोधन संख्या का उल्लेख किया जाए.

सुपुर्द करनेवाले दलाल अथवा समाशोधन सदस्य का नाम

दिनांक

मुख्तारनामा/प्रोबेट/मृत्यु प्रमाणपत्र

प्रशासन पत्र

कंपनी के साथ पंजीकृत
सं. दिनांक :

(दलाल, बैंक, कंपनी अथवा शेयर बाजार, समाशोधन गृह के हस्ताक्षर (न कि आद्याक्षर))

प्रस्तुतकर्ता :
पूरा पता :

शेयर प्रमाणपत्र इनको लौटाया जाए
(वह नाम और पता भरे , जहां प्रमाणपत्र लौटाने हों)

नाम और पता :

शेयर अंतरण स्टांप

IndiaCode

विजया बैंक

फार्म बी

(विनियम 70 का उप-विनियम (iii) देखें)

बही पन्ना सं..
(शेयरधारक द्वारा भरना होगा)

मैं/हम, निवास ----------

राज्य ---------- जिला ----------, विजया बैंक के शेयरधारक के नाते, एतद्द्वारा श्री ---------- निवास ----------

---------- राज्य ----------

ज़िला ---------- को अथवा इनके न होने पर श्री ----------

निवास ----------राज्य ----------

-------ज़िला ---------- को, जो दिनांक ----------19------

को और किसी स्थगित दिनांक को होनेवाली विजया बैंक के शेयरधारकों की बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं.

आज के दिन ----------19----

को हस्ताक्षर किए गए.

नाम : _____

पता : _____

राजस्व स्टांप

के० जयकर शेट्टी, महाप्रबंधक

3258 GI/2003—5

[विज्ञापन III/IV/57/2003/असा०]

VIJAYA BANK

NOTIFICATION

Bangalore, the 23rd October, 2003

VIJAYA BANK GENERAL (AMENDMENT) REGULATIONS, 2003.

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, (4 of 1980), the Board of Directors of Vijaya Bank after consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend Vijaya Bank General Regulations 1998, namely:

CHAPTER-I

INTRODUCTORY

1.short title and commencement:

i. These regulations may be called Vijaya Bank General (Amendment) Regulations, 2003.

ii. These Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2."Vijaya Bank General Regulations 1998" shall be renamed as "Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003"

Definitions- In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof-

a) "Act" means Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980)

b) "Bank" means Vijaya Bank constituted under Section 3 of the Act.

c) "Board" means the Board of Directors constituted under Section 9 of the Act.

d) "Chairman" means Chairman of the Board.

e) "Committee" means a Committee constituted under Regulation 2A;

f) "Executive Director" means the whole time Director not being the Managing Director.

g) "General Manager" means General Manager of the Bank.

h) "Management Committee" means a committee constituted under Clause 13 of the Scheme.

i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank.

j) "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes register of shareholders kept in computer floppies or diskettes under sub-section (2G) of section 3 of the Act and register of beneficial owners maintained by and depository under section 11 of the Depository Act, 1996 (22 of 1996).

k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for-

i) collecting applications from investors in respect of an issue.

ii) Keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities.

iii) Assisting the Bank in-

a) determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange,

b) finalizing the list of persons entitled to allotment of securities,

c) processing and dispatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of the issue, and

iv) such other function as assigned from time to time by the Bank.

l)"Scheme" means Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80.

m)"Share" means share in the Share Capital of the Bank.

n)"Share Transfer Agent" includes:

i) any person, who on behalf of the Bank maintains the record of the holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or

ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause (i)

o) words and expressions used in Chapter III and not defined in these regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1966), shall have the meaning respectively assigned to them in the Act or the Scheme.

"2A(i) Except as provided in Clause (ii) of regulation 67, the Board may constitute, as and when necessary, a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations:

(ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board".

CHAPTER II
SHARES AND SHARE REGISTER

3.Nature of shares- The shares of Vijaya Bank, shall be movable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4.Kinds of share capital:

i) Preference Share Capital means that part of share capital of VIJAYA BANK which fulfills both the following conditions:

A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax and

B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up to repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid up or deemed to have been paid up, whether or not there is a prererential right to the payment of either or both of the following amounts, namely:-

a) any money remaining unpaid, in respect of amounts specified in clause (A) up to the date of winding up or repayment of capital and
b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

ii) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital

iii) The expressions "Preference Share" and "Equity Share" will be construed accordingly.

5.Particulars to be entered in the register:

i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with Sub-Section 2(F) of Section 3 of the Act.

ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.

iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.

iv) Subject to the proviso of sub-section 2(D) of Sec.3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

5A(i) The Bank shall, unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which may be in form of a card index of the names of shareholders and shall, with in fourteen day's after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.

(ii) The index shall be kept with the register of shareholders.

6. Control over shares and registers- Subject to the provisions of the Act and these regulations and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head Office of Vijaya Bank and be under control of the Board and the decision of the Board as to weather or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. Parties who may not be registered as shareholders:-

i) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.

ii) In case of partnership firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Maintenance of share register in computer system, etc.

i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section 2(F) of section 3 of the Act, read with those mentioned in regulation 5, shall be maintained under sub-section 2(G) of Section 3 of the Act, in the form of data stored in

magnetic/optical/magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (herein after referred to as the "Media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Managing Director (hereinafter referred to as "the designated official")

ii) Particulars required to be entered in the share register under Sec.3(B) of the Act read with section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.

iii) The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

9. Safeguards for protection of computer system:

i) The access to the system set out in Regulation 8(1) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agents as may be authorized in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords , if any , and the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

ii) The access by the authorized persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.

iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which the processing is being done. This copy shall be stored in a fire proof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The

access to the back ups in both the locations shall be restricted to persons authorized in this behalf by the

Chairman and Managing Director or the designated official. The person so authorized shall record the access in a manual register kept at the location.

iv) It shall be the duty of the authorized persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back-up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director, by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and / or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders:- if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with "Vijaya Bank" except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of register:

i) The register shall, except when closed under Regulation 12, be open to inspection of any shareholder, free of charge at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

ii) Any shareholder may make extracts of any entry or computer prints free of charge or if he requires a copy of any part thereof, the same will be supplied to him on prepayments at the rate of Rs.5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words or fractional part there of required to be copied.

iii) Not withstanding anything contained in sub-regulation (ii) any duly authorized officer of the Government shall have

the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12.closing of the Register:

The Bank may after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two news papers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13.Share Certificates:

i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

ii) Every share certificate shall be under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and be signed by two directors and some other officer not below the rank of scale II or the Company Secretary.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorized to sign share certificates on behalf of the Bank.

14. Issue of Share Certificates:

i) While issuing share certificates to any share holder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess there of but which are less than hundred.

ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the holders.

Iv) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the Bank shall not be bound to issue more than one certificate and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Issue of new or duplicate Share Certificates:

I) If any share certificate is worn out defaced, the Board or the Committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.

II) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or with out surety as the Board or the Committee thinks fit, and on publication in two news papers and on payment to Vijaya Bank, of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu there of may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and Sub-Division of shares:

On a written application made by the share holder (s), the Board or the Committee designated by it, may consolidate or sub divide the shares submitted to it for consolidation/ subdivision as the case may be and issue a new certificate (s) in lieu there of on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.

17.Transfer of Shares:

I) Every transfer of shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in form 'A' annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee along with the relative share certificate.

II) The instrument of transfer along with the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register in respect thereof.

III) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the

Board shall forward the said instrument of transfer along with the share certificate to the Registrar and / or Share Transfer Agents for purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar and / or the Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate if any to the Transferee for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

Expianation:- "Technical requirements " means

(a) Transfer deed shall be duly stamped;

(b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;

(c) Transferor's signature shall tally;

(d)Transfer deed shall be witnessed"

IndiaCode

(iv) The Board or the committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.

(v) Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within sixty days from the date of lodging of the instrument of transfer.

18.Power to suspend transfers: The Board or the Committee designated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19.Board's right to refuse registration of transfer of shares:

i).The Board or Committee may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other grounds:

a)the transfer of shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made there under or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;

b)the transfer of shares, in the opinion of the Board, is prejudicial to the interest of the Bank or to the public interest;

c)the transfer of shares is prohibited by an order of court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force;

d)an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India, or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acquire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the aggregate will exceed the percentage being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

KnowCode

ii)The Board or Committee shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation (i)

a) if it has formed the opinion that such registration ought to be so refused , effect such registration; and
b) if it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i), intimate the same to the transferor and the Transferee by notice in writing giving reasons for such refusal with in 60 days from the receipt of the Transfer Form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange.

20. Transmission of shares in the event of death, insolvency etc.:

i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share or the holder of letter of probate or letters of administration with or with out the will annexed or a succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder

of any legal representation or a person in whose favour a valid instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's life time be the only person who may be recognized by Vijaya Bank as having any title to such share.

ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letters of probate or letters of administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose flavor a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's life time, shall be the only person who may be recognized by Vijaya Bank as having any title to such share.

iii) Vijaya Bank shall not be bound to recognize such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate, as the case may be, from a court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of letters of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnify or otherwise as it may think fit.

iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence as the Board may require, have the right:

a) To be registered as a shareholder in respect of such shares.

b) To make such transfer of such share as the person from whom he derived title could have made.

21.Shareholder ceasing to be qualified for registration – It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.

"**Explanation** – For the purpose of this regulation, a shareholder may cease to be qualified for registration-

(a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority:

(b) If he is holding shares as a Kartha, on his ceasing to be Kartha"

22.Calls on Shares- The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all the moneys remaining unpaid on the shares held by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by installments.

23.Calls to date from resolution: A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

24.Notice of Call- A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

25.Extention of time for payment of call- The Board may from to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26.Liabilities of joint holders- The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27.Amount payable at fixed time or by installments as calls- if by the terms issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by installments at fixed times, every such amount or installment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or installment accordingly.

28. When interest on call or installment payable- if the sum payable in respect of any call or installment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the installment shall be due, shall pay interest on such sum at such

rate as the Board may fix from to time, from the day appointed for the payment there of, to the time of actual payment, but the Board may at its discretion, waive payment of such interest, wholly or in part.

29.Non payment of calls by shareholders- No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly, with any person, together with interest and expenses as may be levied or charged.

30. Notice on non-payment of call or installment- If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or installment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, Vijay Bank may at any time there after during such time as the call or installment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect of there of remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or installment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by Vijaya Bank by reason of such non-payment.

31.Notice of Forfeiture- The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or installment or such part or other monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or installment is payable will be liable to be forfeited.

32. Share to be forfeited on default- If the requirements of any such as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or installments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect at its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under regulation 31. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

33.Entry of forfeiture in the register- When any share has been forfeited under regulation 32, any entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34.Forfeited shares to be property of Vijaya Bank and may be sold- Any share so forfeited shall be deemed to be the property of Vijaya Bank and may be sold, re allotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35.Power to annul forfeiture- The Board may, at any time, before any share so forfeited under regulation 32 shall have been sold, reallotted or otherwise disposed of , annul the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

36.Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest- Any shareholder whose share have been forfeited shall, not withstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to Vijaya Bank all calls, installments, interest, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time for forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board, and the Board may enforce the payment of the whole or portion thereof.

37.Partial payment not to preclude forfeiture- Neither a judgement nor a decree in favor of Vijaya Bank for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction there under nor the receipt by Vijaya Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by Vijaya Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.

38.Forfeiture of share extinguishes all claims against the Bank – The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of forfeiture, of all interest in and all claims and demands against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39.Orginal shares null and void on sale, reissue, re allotment or disposal on being forfeited – Upon any sale, reissue, re allotment or other disposal, under the provisions of the preceding regulations, the certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null and void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

40.Application of forfeiture provisions- The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by

way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41.Lien on shares-

i) The Bank shall have a first and paramount lien-

a) On every share (not being a fully paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;
b) On all shares (not being fully paid share) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank.
c) Upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment, fulfillment or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognized by the Bank over its lien.

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

ii) the Bank's lien, if any , on a share shall extend to all dividends payable thereon.

42.Enforcing Lien by sale of shares-

i) The Bank may sell, in such manner as the Board think fit, any shares on which the Company has a lien;

a) if the sum in respect of which the lien exists is presently payable and
b) After the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists and is presently payable, has been given to the registered shareholder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

ii) To give effect to any such sale, the Board may authorize some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

43.Application of proceeds of sale of shares- The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is

presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by the transmission to the shares so sold.

44.Certificate of forfeiture: A certificate in writing under the hands of any director, or Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II, duly authorized in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all the persons entitled to such shares.

45.Title of purchaser and allottee of forfeited share- Vijaya Bank may receive the consideration, if any given for the share on any sale, re allotment or disposition thereof and the person to whom such share is sold, re allotted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale , re allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against Vijaya Bank exclusively.

46.Service of a notice or document to shareholders:

i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.

ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice;

Provided that a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post or electronic media as the case may be.

iii) A notice of document advertised in a news paper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in

India nad has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares.

v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of the representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied , by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.

vi) The signature to any notice to be given by VIJAYA BANK may be written or printed.

CHAPTER III

SECURITIES OF THE BANKHELD IN A DEPOSITORY

47 Agreement between a depository and the Bank – The Bank may enter into an agreement with one or more depository as defined in section 2(e) of the Depositories Act, 1996, to avail of the its services in respect of securities issued by the Bank.

CHAPTER IV

MEETING OF SHAREHOLDERS

56.Notice convening an Annual General Meeting:

i. A notice convening an annual general meeting of the share holder signed by the Chairman & Managing Director or Executive Director or any officer of Vijaya Bank not below tha rank of Scale VII or Company Secretary, shall be published at Oleast twenty one clear days before the meeting in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.

ii. Every such notice shall state the time, date and place of such meeting and also the business that shall be transacted at that meeting.

iii. The time and date of such meeting shall be as specified by the Board, The meeting shall be held at the place of Head Office Vijaya Bank.

IndiaCode

57.Extraordinary General Meeting:

i)The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank or in his absence any one of the directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of share holders if so directed by the Board, or on a requisition for such a meeting having been received either from the Central Government or from other share holders holding shares, carrying in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all the share holders.

ii)The requisition referred in sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened, but may consist of several documents like form each signed by one or more of the requisitionists.

iii)Where two or more persons hold any shares jointly, the requisition or a notice calling a meeting, signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as it had been singed by all of them.

iv)The date, time and place of Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board.

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other Shareholder shall be convened not later than 45 days of the receipt of the requisition.

v)If the Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i) within the period stipulate din the proviso to sub-regulation (iv) the meeting may be called by the requisitionist themselves within three months from the date of the requisition.

Provided that noting in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.

vi)A meeting called under sub-regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which the other general meetings are called by the Board.

58.Quorum of General Meeting:-

i) No business shall be transacted at any meeting of the share holders unless a quorum of at least five share holders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.

ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, in the case

of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.

iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the share holders who are present in person or by proxy or by duly authorized representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called.

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of Section 10A (1) of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those share holders who are present in person or by proxy or by duly authorized representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at General Meeting:

i) The Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the Directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorized by the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the Chairman of the meeting and if the Chairman & Managing Director or the Executive Director or any other Director authorized in this behalf is not present, the meeting may elect any other Director present to be the Chairman of the meeting.

ii) The Chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the share holders may address the meeting to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Persons entitled to attend general meetings:

i) All Directors and all shareholders of Vijaya Bank shall, subject to the provisions of Sub-regulation (ii), be entitled to attend a general meeting.

ii) A share holder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the purpose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the Chairman containing particulars relating to:

a) his full name and registered address
b) the distinctive numbers of his shares
c) where he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorized representative.

61. Voting at General Meetings:

i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes

iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number of proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any share holder or share holders present in person or by proxy and holding shares in Vijaya Bank, which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or person who made the demand.

vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.

viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to number of votes any person is competent to exercise shall be final.

61A Scrutineers at Poll.

(I) where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutinizers to scrutinize the votes given on the poll and report thereon to him.

(II) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.

(iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an officer or employee of the Bank) present at the meeting; provided that such a shareholder is available and willing to be apointed.

61B. Manner of taking poll and result thereof.

(i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.

(ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken.

62. Minutes of General Meetings:

i) Vijaya Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.

ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the chairman of the meeting at which the proceedings were held or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.

iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings here of minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held and all proceedings held thereat to have been duly held.

iv)

On written request made by a shareholder for inspection of the
minute book or for a copy of the minute of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be , to the shareholder.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63.Directors to be elected at General Meeting:

i. A Director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of Vijaya Bank.

ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64..List of Shareholders:

i)For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

ii)The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting or which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase of at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65.Nomination of candidates for election:

i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

(a)He is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in Vijaya Bank.

(b)He is, on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.

(c) He has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call.

(d) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Vijaya Bank and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company.

(e) The nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any nationalized bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of Vijaya Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations:

i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefore. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address hall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidates polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election Disputes:

i. If any doubt, or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman & Managing Director of Vijaya bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Vijaya Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii. The Committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the Committee.

iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights:

i. Subject to the provisions contained in section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting have one vote, on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii. Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid, who not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated herein above in sub-regulations (i).
Explanation – For this chapter "Company" means anybody corporate.

iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorized representative:

i. A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorized representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Vijaya Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government / Company.

ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Vijaya Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of resolution, appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the Meeting at which it was

passed shall have been deposited at the Head Office of Vijaya Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70.Proxies:

i. No instrument of a proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reasons, unable to write his name , if his mark is affixed thereto and attested by a Judge , Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Vijaya bank.

ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Vijaya Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Vijaya Bank.

iii. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.

iv. An instrument of proxy deposited with Vijaya Bank shall be irrevocable and final.

v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

vi. The granter of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Vijaya bank.

VIJAYA BANK

FORM 'A'

SHARE TRANSFER FORM

(See sub regulation (i) of regulation 17)

FOR THE CONSIDERATION stated below the " the Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the condition aforesaid.

Full name of the Company	Name of the recognized stock Exchange where dealt in, if any.
Description of Equity shares	
No. in figures No. in words	Consideration(in fig) Consideration (in words)
Distinctive Nos. From	
To	

Corresponding Certificate Nos.

Transferor(s) [Seller(s)] Particulars	Regd. Folio No.	Signature(s)
Name(s) in full	1.----------	1.----------
	2.----------	2.----------
	3.----------	3.----------
	4.----------	4.----------

IndiaCode

ATTESTATION

I here by attest the signature of the transferor(s) herein mentioned.

Signature

Name

Address / Seal

IndiaCode

Signature of witness:

Name and address of the witness

---------- PIN----------

Transferee(s) [Buyer's] Particulars: SIGNATURES

Name(s) in full 1.----------

2.----------

3.----------

Occupation	Address	Father's/Husband's name
1.		
2.		
3.		

Transferee (s) existing Folio, if any, in same order of names---------- Value of stamps affixed Rs.----------

Dated this ---------- day of ---------- Two thousand ----------

Place ----------

IndiaCode

For Office Use only

Folio	Company Code
Specimen Signatures Of Transferor(s)	1.---------- 2. 3.

Checked by:----------

Signature tallied by:

Entered in register of:

Transfer No.----------

Approval date----------

Instruction for Attestation:

Attestation, where required,(Thumb impressions, marks, signature difference etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or special executive Magistrate or a similar authority holding a public office and authorized to use the seal of his office or a member of a recognized Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the transferor's Bank.

NOTE: Names must be rubber stamped preferably in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a Clearing Member Bank.

Name of delivering Broker or Date:

Clearing Member----------

POWER OF ATTORNEY/PROBATE/DEATH CERTIFICATE
LETTERS OF ADMINISTRATION
Registered with the Company No---------- Date----------
(Signature (Not initials) of broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House)
LODGED BY: FULL ADDRESS:
SHARE CERTIFICATE TO BE RETURNED TO; (Fill in the name and address to which the certificates are required to be returned) Name & Address:
Share of Transfer stamps:

IndiaCode

VIJAYA BANK

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(See sub-regulation (iii) of regulation 70)

Folio No.----------

(to be filled in by the shareholder)

I/We, resident of ---------- in the district of ----------

in the state of ---------- being a shareholder/ shareholders of VIJAYA BANK hereby appoint shri.---------- resident of---------- in the district of ---------- in the state of ---------- or failing him, shri---------- resident of----------in the state of ---------- as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the meeting of the shareholders of VIJAYA BANK to be held on the ---------- day of ----------20---- and at any adjournment thereof.

Signed this----------day of----------20----

Name----------

Address---------- Revenue Stamp

K. JAYAKAR SHETTY, General Manager

[ADVT. III/IV/57/2003/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.